उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनु०–7
संख्या: 946/xxvii(7)/2007
देहरादून, दिनांक: 21 नवम्बर,2007

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– दिनांक 01–10–2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या: 21/XXVII (7)अं०पें०यो० / 2005, दिनांक: 25 अक्टूबर,2005 का स्पष्टीकरण ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या:21/XXVII(7)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,200 द्वारा प्रदेश में दिनांक 01–10–2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में विभिन्न विभागों,संगठनों एवं संस्थाओ द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदा करते हैं:–

जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.पेंशन टियर–1 से संबंधित प्रपत्रों का रख–रखाव व प्रेषण किस प्रकार किया जाएगा?	पेंशन टियर–1 के प्रपत्र–1, को प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम एवं को अंकित करके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्ष कर संबंधित कोषागार को भेजा जाय, ताकि आहरण वितरण अधिकारी वार डाटा बेस तैयार किया जा सके एवं नियमानुसार इसकी एक प्रति निदेशक, लेखा ए हकदारी को कोषागार द्वारा उपलब्ध करायी जाय।
2.यदि किसी कार्मिक की, जो अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य नही है, त्रुटिवश किसी माह उसके वेतन से अंशदान की कटौती पेंशन टियर–1 में हो जाती है तो उसकी वापसी की प्रकिया क्या होगी?	यदि किसी कार्मिक की त्रुटिवश अंशदान पेंशन की कटौती हो गयी हो तब संबंधित कोषागार द्वारा अभिलेख की पुष्टि के बाद सुसंगत लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की गयी हो, से घटाइये वापसियों की प्रकिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड किया जाए तथा नियोक्ता का अंश जिस लेखा शीर्षक से वेतन आहरित किया गया हो उसके समरूप राजस्व प्राप्ति लेखाशीर्षक में धनराशि राजकोष में पूर्ण स्थानान्तर (Whole Transfer)प्रकिया के अधीन जमा क जाय।
3.स्वैच्छिक टियर–2 लेखे का रखरखाव किस रूप में होगा?	अंशदान पेंशन योजना में टियर–2 का रख–रख अनिवार्य की बजाय विकल्प पर आधारित सामान्य भवि निधि खातो के रूप में होगा तथा इस खाते के खोल एवं रख–रखाव की व्यवस्था एवं प्रकिया वही होगी दिनांक 1–10–2005 के पूर्व नियुक्त कार्मिको पर सामा भविष्य निधि के विषय में लागू है। टियर–2 महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खातों की भाँति

"ग" एवं उससे उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारियों के खाते खोल कर इनका रख–रखाव करेंगे तथा वर्ग "घ" हेतु पूर्व की भांति आहरण वितरण अधिकारी /कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इसे किया जायेगा।

शदान पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कों की प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा अवधि में काश वेतन तथा पेंशन अंशदान जमा करने की ज्या एवं व्यवस्था क्या होगी?

यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा पर रहने के कारण कोषागार से एकीकृत भुगतान प्रणाली से वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसकी भर्ती दिनांक 1–10–2005 से पूर्व की हो, तो वह स्थापित प्रकिया के अधीन चालान द्वारा अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशनरी अंशदान जमा करेगा । दिनांक 1–10–2005 या उसके बाद नई भर्ती के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर रहने की अवधि में अवकाश वेतन अशंदान पूर्ववत जमा करेंगे परन्तु पेंशन अंशदान हेतु कर्मचारी एंव नियोक्ता का अंशदान नयी पेंशन योजना के आधार पर चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जाय अर्थात वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से तथा इतनी ही धनराशि जहां पर कार्मिक प्रति नियुक्ति/बाह्य सेवा पर कार्यरत है उस सदस्य/संगठन द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन जमा की जाएगी ।

5.जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नही होता वहॉ कटौती की गयी अंशदान की धनराशि का निवेश किस प्रकार किया जाय?

जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पेंशन फण्ड के विषय में पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहॉ न्यूनतम सामान्य भविष्य नि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षि निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फण्ड मैनेजर नियु हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विव सहित फण्ड मैनेजर को हस्तान्तरित कर दी जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रत्येक विवरण कम्प्यूटर पर आधारित ह, तथा उ निरन्तर बैक अप रखा जाय। सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज के आधार पर वित्तीय वर्षवार अंशदायी पेंशन कर्मचारीवार अवशेष, वर्षान्त में 15 मई तक आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागार के माध्यम से लेखा पर्ची कार्मिक उपलब्ध करा दी जाय । ऐसे लेखों का 100 प्रतिशत मिलान कोषागार द्वारा किया जाय ताकि वेतन से अंशदान की कटौती एवं प्रारम्भिक अवशेष आहरण वितरण अधिकारी, कोषागार एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी में समान पुरस्थापित हो

...346
या: (1)/xxvii(7)/2007 तददिनांक

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।